न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 64 / 2024 अपील (GCMS 2024/74)
पंजीयन दिनांक– 12 / 09 / 2024
निर्णय दिनांक– 18 / 11 / 2024

1. श्री महेन्द्र पिता हीरालाल गुर्जर, निवासी गोवर्धनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री भागू पिता भोजा गुर्जर, निवासी गोवर्धनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेडा, जिला भीलवाडा।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री सम्पतलाल बोहरा	अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री चन्द्रशेखर आमेटा	अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	अधिवक्ता रेस्पोडेंट 2

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 08 / 2020
(प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 20.08.2024

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18 / 11 / 2024

- अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 08 / 2022 (प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 20.08.2024

के विरूद्ध दिनांक 06.09.2024 को प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ इस न्यायालय में पेश की गई।

- इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा के यहां प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटी महेन्द्र पुत्र हीरालाल गुर्जर, निवासी गोवर्धनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा, जिसकी वर्तमान आयु 20 वर्ष होकर राजकीय महाविद्यालय करेडा, जिला भीलवाडा में बी. ए. द्वितय वर्ष में अध्ययनरत है, ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 101 के अंतर्गत अनाधिकृत भूमि भूमि का आवंटन हेतु एक आवेदनपत्र दिनांक 17.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी, करेडा के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र में आवंटी महेन्द्र ने अपने आपको 20 वर्षीय कृषक बताते हुए ग्राम सुलिया के खसरा संख्या 1259 क्षेत्रफल 0.4047 में से 0.3795 हैक्टेयर भूमि को आवंटित करने का प्रार्थना की जिस पर पटवारी हल्का एंव तहसीलदार, करेडा, जिला भीलवाडा द्वारा भूमि आवंटन के लिए चैक लिस्ट तैयार की। उक्त आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटी द्वारा एक शपथ पत्र में आवंटी की पुश्तैनी भूमि/आवंटी के नोशनल शेयर से कुल कितनी भूमि है इस तथ्य को जानबुझकर खाली छोडते हुए एवं आवंटी के परिवारजन के पास किस गांव में कितनी भूमि है, इस तथ्य को भी खाली छोडते हुए छुपाया है साथ ही उक्त आवंटी ने घोषणा की कि "यह है कि इस भूमि पर संवत् 2064 से 2078 में मेरा कब्जा होने के बावजूद अकाल पडने से मेरे द्वारा संपूर्ण रकबा में फसल बोई गई थी लेकिन अकाल पडने से फसल नष्ट हो गई, जिससे पटवारी हल्का द्वारा टी. पी. नही पकडी गई।" एव आगे कथन किया है कि "यह है कि जिन वर्षो की टी. पी. नही पकडी गई उन वर्षों में मेरे द्वारा फसल देर से बोई गई जिसकी जानकारी स्थानीय सरपंच व ग्रामवासियों को है।" रेस्पोडेंट संख्या

1 ने प्रार्थना पत्र में आगे यह भीं अंकित किया कि संवत् 2064 में आवंटी महेन्द्र गुर्जर मात्र 04 वर्ष का अल्पायु था, तो वो इतनी अल्पायु में कैसे कृषि कार्य कर सकता था। यहां एक रोचक तथ्य यह भी है कि आवंटी ने अपने आवंटन पत्र जो कि दिनांक 17.12.2021 को प्रस्तुत किया उक्त आवंटन पत्र की लाईन संख्या 09 में अपनी आयु 20 वर्ष अंकित की है। इससे भी देखे तो भी संवत् 2064 में आवंटी महेन्द्र की आयु 06 वर्ष थी, बावजूद इसके उक्त भूमि को आवंटन सलाहकार समिति ने आवंटन हेतु सिफारिश कर दी एंव उपखण्ड अधिकारी, करेडा ने भी इस पर बिना गौर किये ही इस तथ्य को सही मानते हुए भूमि आवंटन हेतु आदेश पारित फरमा दिये गये। कोई व्यक्ति 04 से 06 वर्ष की आयु में कैसे कृषि कर सकात है और कैसे इसकी सूचना सरपंच एवं ग्रामवासियों को दे सकता है। आवंटन की गई भूमि पर रेस्पोडेंट संख्या 1 को कई वर्षो से कब्जा है एवं उक्त भूमि पर पत्थर की छह फीट ऊंची दीवार कर रखी है एवं भू–सुधार के लिए एवं मृद संरक्षण के लिए डोल डाल रखी है। जब उक्त भूमि पर कब्जा ही रेस्पोडेंट संख्या 1 को है तो आवंटी महेन्द्र अपनी 04 से 06 वर्ष की आयु में संवत् 2064 से बालिग होने तक बिना कब्जे के भूमि पर फसल काश्त कैसे कर सकता है। भूमि आवंटन हेतु आवेदन की आयु कम से कम 21 वर्ष होकर आवेदन का कृषक होकर उसकी आजीविका कृषि कार्य पर ही निर्भर करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है, कि राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा मौका स्थिति देखे बिना ही और बिना फिल्ड में गये ही अपने ऑफिस में बैठ–बैठे मौका रिपोर्ट एवं अनुशंसा रिर्पोट तैया कर दी गई, जो संबंधित अधिकारियों की अपने पदी कर्तव्यों के प्रति सजगता को इंगित करता है। अंत में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आवंटन निरस्त किया जावें, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/202 (प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक

20.08.2024 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 20.08.2024 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:–*"प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4), राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 स्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा के आदेश क्रमांक–राजस्व/प्र.गा.स.अ./आवंटन/2021/17.12.37 दिनांक 07.02.2022 से अप्रार्थी/आवंटी महेन्द्र पुत्र हीरा गुर्जर, निवासी गोवर्धनपुरा के पक्ष में ग्राम सुलिया पटवार हल्का गोवर्धनपुरा, तहसील करेडा, जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1259 में से 0.3795 हैक्टेयर भूमि का दिनांक 07.02.2022 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है एवं उक्त भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही उपखण्ड अधिकारी, करेडा एवं तहसीलदार, करेडा को निर्देश दिये जाते है कि उक्त कालावधि में उपखण्ड क्षेत्र करेडा, जिला भीलवाडा में राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अंतर्गत किये गये समस्त आवंटनों की एक माह की अवधि में विधिवत् जांच करे एवं विधिक परीक्षण उपरांत आवंटन नियमों की पालना में जारी नहीं किये गये/नियम विरूद्ध जारी किये गये आवंटनों के विरूद्ध प्रकरण तैयार कर, नियमानुसार सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश करें। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी, करेडा एवं तहसीलदार करेडा को पालनार्थ प्रेषित की जावें।"*

- यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर आमेटा

उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 12.11.2024 को सुनी गई।

- अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भूल की है कि अपीलांट की उम्र आवंटन के 16 वर्ष पूर्व केवल 04 वर्ष थी तथा 4 वर्ष की उम्र में व कैसे काश्त कर सकता है। जबकि उस समय उसके दादा व उसके पिता काश्त करते थे। अपीलांट के दादा की मृत्यु हुई उसके बाद पिता की मृत्यु सन् 2021 में हुई उसके बाद से अपीलांट काश्त कर रहा है। अपीलांट आवंटन के दिन भूमिहीन काश्तकार था। आवंटन के दिन पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी तथा वह अपने परिवार में अकेला कमाने वाला व्यक्ति था। अधीनस्थ न्यायालय ने नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के किसी भी तथ्य जो कि मौजूद नही था यानि न तो अपीलांट ने फ्रोड किया, न ही अपीलांट ने मिसरिप्रजनटेशन किया न ही अपीलांट को नियमों के विपरीत आवंटन हुआ न ही अपीलांट ने शर्तो की अवहेलना की है। अपीलांट की खातेदारी भूमि से आवंटनशुदा भूमि लगी हुई है, जबकि रेस्पोडेंट का न तो आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा है न ही आवंटनशुदा भूमि के आसपास रेस्पोडेंट की भूमि है। अपीलांट को उक्त भूमि का आवंटन नियमानुसार हुआ है। उसने गत वर्ष भूमि पर मक्का की फसल काश्त की है जो गिरदावरी में दर्ज है, फिर अधीनस्थ न्यायालय ने आवंटन निरस्ती का आदेश दिया जो बिल्कुल गतल होकर काबिल निरस्त के है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RBJ 2021 Page 166, RBJ 2019 Page 670, RBJ 2020 Page 765, RBJ 2020 Page 620, RBJ 2010 Page 157, RBJ 2010 Page 608, RBJ 2011 Page 418, RBJ 2011 Page 601, RBJ 2021 Page 166, RBJ 2012 Page 532, RBJ 2015 Page 667, RBJ 2014 Page 525, RBJ 2023 Page 315,

RBJ 2023 Page 44 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि आवंटी महेन्द्र गुर्जर ने स्वयं को कृषक बताकर प्रश्नगत आवंटन कराा है जबकि वह कृषक नही होकर विद्यार्थी था तथा उक्त आवंटन के संबंध में मौका रिपोर्ट भी गलत बनाई जाकर आवंटन में प्रक्रियात्मक कमिया रखी गई। बहस में आगे कथन किया कि प्रश्नगत आवंटन के संबंध में शिकायत करने एवं विधानसभा में पुछे गये प्रश्न पर जांच स्वयं उपखण्ड अधिकारी, करेडा ने की, जबकि आवंटन भी स्वयं उपखण्ड अधिकारी, करेडा ने ही किया था, इसलिए शिकायत की जांच उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए थी तथा आवंटी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रश्नगत भूमि पर संवत् 2064 से ही कब्जा होना बताकर फसल कश्त करना अंकित किया गया था, जो झूठ है, क्योंकि जब आवंटी ने आवंटन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 17.12.2021 को अपनी उम्र 20 वर्ष होना अंकित किया है तो संवत् 2064 में तो आवंटी महेन्द्र गुर्जर मात्र 04 वर्ष का अल्पायु था और तो इतनी अल्पायु में कृषि कार्य कैसे कर सकता था। बहस में अंत में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.08.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

- अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट 2 राजकीय अभिभाष श्री मुरलीधर पालीवान ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 20.08.2024 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील गुणावगुण पर निर्णय किया जाने बाबत निवेदन किया गया।

- प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन

किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4), कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 08/2022 (प्रार्थना पत्र) निर्णय दिनांक 20.08.2024 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया किये जाने से व्यथित/असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

- प्रकरण में अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, करेडा की आवंटन पत्रावली संख्या 2021/17.12.37 से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा मौजा सुलियां, तहसील करेडा की खसरा संख्या 1259 में से आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर अपीलांट के नाम कथित भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच, प्रधान के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट के पास पहले से भूमि उपलब्ध होने का उल्लेख किया है, किन्तु उक्त भूमि वक्त आवंटन अपीलांट के पास आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपलब्ध हो अथवा आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा अनुसार आवंटी भूमिहीन की परिभाषा में न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेंट संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रकरण में आवंटन अपीलांट के सद्भावी काश्तकार होने के कारण किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा कब्जा होना अवश्य दर्शाया है, किन्तु पश्चात्वर्ती कब्जे के आधार पर कथित आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नही है। अपीलांट द्वारा

उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार, करेडा द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाडा को दिनांक 12.07.2023 प्रेषित पत्र से विधानसभा प्रश्न के जवाब में अपीलांट का कब्जा होना माना है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवंटन से पूर्व विवादित आराजीयात पर अपीलांट एवं उसके के पिता का कब्जा था। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुराना राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की रेस्पोडेंट संख्या 1 का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा अपीलांट को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि रेस्पोडेंट संख्या का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे रेस्पोडेंट संख्या 1 के पास उपलब्ध होती, जो रेस्पोडेंट संख्या 1 का कब्जा साबित करती। रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं उनके अधिवक्ता पूर्ववर्ती कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। अपीलांट उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नही होती है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, करेडा द्वारा किया गया आवंटन उचित पाया जाता है।

- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त करने हेतु मुख्य आधार यह लिया गया है कि आवंटी द्वारा संवत् 2064 अर्थात वर्ष 2007 से ही प्रश्नगत भूमि पर स्वयं को कब्जा होना

तथा उक्त भूमि पर फसल काश्त किया जाना बताया गया है जबकि आवंटी द्वारा आवंटन आवेदन पत्र में स्वयं की उम्र 20 वर्ष होना बताया गया है। संवत् 2064 में आवंटी की उम्र लगभग 5 वर्ष ही रही होगी। इस प्रकार 5 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति/बालक किसी भी भूमि पर पर कैसे कब्जा कर सकता है अथवा इतनी बडी आराजीयात पर कैसे फसल काश्त कर सकता है?

उल्लेखनीय है कि अपीलांट/आवंटी का संवत् 2064 अर्थात् वर्ष 2007 से स्वयं का कब्जा नही होकर स्वाभाविक रूप उसके दादा एवं पिता का कब्जा होना तथा उक्त भूमि पर फसल काश्त किया जाना स्पष्ट रूप प्रकट होता है। अपीलांट/आवंटी के दादा की पूर्व में एवं उसके पिता की वर्ष 2021 में मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद से अपीलांट वारिस होकर स्वयं काश्त करता था। स्वाभाविक है कि दादा एवं पिता की मृत्यु होने के बाद वक्त आवंटन अपीलांट/आवंटी की उसके आधारा कार्ड में वर्णित जन्म दिनांक 01.09.2002 अनुसार उम्र 20 वर्ष होकर बालिग था। उक्तानुसार अपीलांट/आवंटी के बालिग होने पटवारी हल्का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर अपीलांट के नाम कथित भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच, प्रधान के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। अतः उपरोक्तानुसार अपीलांट/आवंटी को किया गया आवंटन उचित प्रतित होता है।

- उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है,

जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित नही समझता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 20.08.2024 अपास्त किया जाकर अपीलांट/आवंटी श्री महेन्द्र पिता हीरालाल गुर्जर के पक्ष में उपखण्ड अधिकरी, करेडा द्वारा अपने आदेश क्रमांक राजस्व/प्र. गा. स. अ./2021/17.12.37 दिनांक 07.02.2022 को यथावत रखा जाता है।

(सी. आर. देवासी)
अति. संभागीय आयुक्त,
उदयपुर